कार्यालय कलेक्टर जिला खण्डवा, (म.प्र.)

क्रमांक /व.लि./2025/ 11542 खण्डवा, दिनांक 15/07/2025

आदेश

ओंकारेश्वर स्थित श्री ममलेश्वर महादेव मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 40/1, रकबा 13.99 हेक्टेयर पर स्थित (अनुलग्नक-1) होकर खासगी ट्रस्ट की संपत्ति (अनुलग्नक-2) है । साथ ही पुरातत्व विभाग द्वारा अधिसूचित स्मारक में भी शामिल (अनुलग्नक-3) है।

श्री ममलेश्वर मंदिर के प्रबंधन की वर्तमान में कोई स्पष्ट व्यवस्था न होने से मंदिर संपत्ति पर अतिक्रमण, अवैधानिक रूप से दान एकत्रीकरण तथा श्रद्धालुओं को आये दिन हो रही असुविधा जैसी समस्याएं विद्यमान है, जिसे ट्रस्ट द्वारा भी पिछले समय में कई बार स्वीकार किया गया है तथा तत्कालीन कलेक्टर खंडवा को, दान राशि को शासकीय नियंत्रण में लेते हुऐ सुविधाओं को बेहतर करने का अनुरोध (अनुलग्नक-4 खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटीज़ ट्रस्ट पत्र कलेक्टर कार्यालय, खण्डवा - आवक न.4932/8.5.2017) किया गया है । श्रद्धालुओं की अधिक संख्या तथा वित्त अभाव में जनसुविधाओं के अपर्याप्त विकास के कारण आए दिन कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की सम्भावना रहती है । थाना प्रभारी, थाना मान्धाता की रिपोर्ट (अनुलग्नक-5), नायब तहसीलदार, टप्पा मान्धाता का प्रतिवेदन (अनुलग्नक-6) तथा समाचार पत्रों की कटिंग (अनुलग्नक-7) एवं अनुविभागीय अधिकारी, पुनासा से प्राप्त प्रस्ताव (अनुलग्नक-8) के आधार पर उक्त कानून व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट होती है।

श्री ममलेश्वर मंदिर के धार्मिक महत्त्व, लोक हित एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक रूप से आवश्यक है, कि मंदिर का उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए । इस हेतु ट्रस्ट से भी समय-समय पर चर्चा की गई है । खासगी ट्रस्ट वर्तमान में लोक न्यास अधिनियम में पंजीकृत करने की कार्यवाही इंदौर में प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह समाधान हो गया है, कि पब्लिक ऑर्डर एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु मंदिर प्रबन्धन के लिए एक प्रबंधन समिति गठित किया जाना आवश्यक है । अतः मंदिर प्रबंधन हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :-

1. आयुक्त, इंदौर संभाग एवं पदेन ट्रस्टी खासगी ट्रस्ट द्वारा नामांकित अधिकारी - सदस्य
2. कलेक्टर खंडवा - अध्यक्ष
3. संसद सदस्य, खण्डवा – सदस्य
4. विधायक, विधानसभा क्षेत्र मान्धाता - सदस्य
5. अध्यक्ष नगर परिषद्, ओंकारेश्वर - सदस्य
6. खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटिज ट्रस्ट द्वारा नामांकित प्रतिनिधि - सदस्य
7. पुलिस अधीक्षक, खण्डवा - सदस्य
8. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग इंदौर एवं पदेन ट्रस्टी खासगी ट्रस्ट - सदस्य
9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुनासा- सदस्य सचिव
10. जिला कोषालय अधिकारी, खंडवा - कोषाध्यक्ष
11. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, टप्पा कार्यालय, मान्धाता - सदस्य
12. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, पुनासा - सदस्य
13. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, ओंकारेश्वर - सदस्य
14. कार्यपालन यंत्री, म.प्र. प.क्षे.वि.वि.क.लि., पुनासा - सदस्य
15. थाना प्रभारी, थाना मांधाता – सदस्य
16. भिलाला समाज के वर्तमान पुजारी परिवार की ओर से एक प्रतिनिधि – सदस्य

उपरोक्तानुसार गठित समिति अनुलग्नक-9 मे वर्णित नियमावली के अधीन रहते हुए अपने कार्यो का सम्पादन करेगी तथा तत्काल प्रभाव से मंदिर प्रबंधन हेतु आवश्यक आगामी कार्यवाही करेगी।

(ऋषव गुप्ता)
कलेक्टर
जिला खंडवा (म.प्र.)

पृष्ठां/क्रमांक /व.लि./2025/11543

खण्डवा, दिनांक 15/07/2025

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, खंडवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुनासा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटीज ट्रस्ट की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सर्व संबंधित सदस्य .... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. थाना प्रभारी, थाना मान्धाता की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला खंडवा (म.प्र.)